मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/19	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी सरकार व अपीलीगण उपस्थित। प्रतिवादी सरकार व अपीलीय का पूर्व गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहखातेदारों का कब्जा का मौका किया गया। सहखातेदारों घास उपस्थित बेदखली सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया मुताबिक सहमति पत्र अपील दरखास्त दरखास्त का निपटारा किया गया, सहमति पत्र पर पंचायत व पटवारी, भू.अ. तहसीलदार व तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर भी दरखास्त दरखास्त का निपटारा किया सहमति स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र दरखास्त दिये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 23.2.19 की निर्णय व डिक्री का आगा रहेगा। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खसरा 1253, 1254, 1256, 1258, 1267, 1279 कुल रकबा 22.42000 हेक्टेयर वादे दावा होगया है राजस्व रिकार्ड में सहमति दिनांक 23.2.19 के मुताबिक दरखास्त दरखास्त के आदेश तहसीलदार चिड़ावा के दिये जाते हैं निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल घोषित की जाती है।	नि० लक्ष्मणा अपीलीय नि० चन्द्रलाल नि० कुन्दन रामजीलाल मांगू रघुवीर देवीराम नि० मेघराज चमनलाल सियाराम रामकुमार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-झुंझुनूं

कोड़ाराम

Scanned by CamScanner